**HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN**
**BENCH AT JAIPUR**

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 2037/2026

Rishipal Singh S/o Deshraj, Aged About 45 Years, R/o Nayabas, Police Station Gounda District Aligarh, At Present Resident Of Sent Pols Colony Behind Atv, Near Jai Gurudev Mandir, Mathura, Police Station Mathura Highway, Mathura ( U.p.) ( Confined In Sub Jail Behror District Kotputli Behror)

----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through Pp

----Respondent

---

| | | |
|---|---|---|
| For Petitioner(s) | : | Mr. S.S.Ola |
| For Respondent(s) | : | Mr. A.K.Gupta, PP |

---

**HON'BLE MRS. JUSTICE SHUBHA MEHTA**

**Order**

**23/02/2026**

प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के प्रावधानों के अंतर्गत यह जमानत प्रार्थना–पत्र पुलिस थाना बहरोड कोतवाली जिला कोटपूतली में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 784/2021 अपराध अंतर्गत धारा 419, 420, 467, 468, 471, 120–बी भारतीय दण्ड संहिता में जमानत का लाभ दिए जाने की प्रार्थना के साथ पेश किया गया है।

बहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी/अभियुक्त का तर्क है कि प्रार्थी को प्रकरण में मिथ्या संलिप्त किया गया है। उनका तर्क है कि उस पर यह आक्षेप लगाया गया है कि उसने फर्जी परीक्षार्थी बनकर परीक्षा देने के सम्बन्ध में दो हजार रूपये प्राप्त कर राहुल के स्थान पर सौरभ को रीट की परीक्षा देने भेजने के लिए राुल की फोटो आईडी परिवर्तित की है। उनका तर्क है कि प्रार्थी/अभियुक्त न तो परीक्षा देने वाला व्यक्ति है और न ही मूल परीक्षार्थी के स्थान पर तथाकथित बैठने वाला डमी अभ्यर्थी ही है। सहअभियुक्तगण राहुल एवं सौरभ को जमानत का लाभ दिया जा चुका

है। उनका तर्क है कि प्रकरण में आरोप–पत्र पेश हो चुका है। उसके विरूद्ध कोई आपराधिक प्रकरण पूर्व में दर्ज नहीं रहा है। अतः उसे जमानत का लाभ दिया जाए।

इसके विपरीत विद्वान लोक अभियोजक का तर्क है कि प्रार्थी ने डमी अभ्यर्थी सौरभ के एडमिट कार्ड में फोटो एडिट कर राहुल के स्थान पर उसे बिठाने का प्रयास किया है। गम्भीर अपराध है, अतः प्रार्थी को जमानत का लाभ नहीं दिया जाए।

दोनों पक्षों के तर्कों पर मनन किया गया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया।

पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि प्रार्थी/अभियुक्त पर यह अभियोग है कि उसने मूल परीक्षार्थी के स्थान पर अन्य व्यक्ति को परीक्षा देने के लिए उसके आधार कार्ड और प्रवेश–पत्र आदि में परिवर्तन किया है और राशि प्राप्त की है। मूल परीक्षार्थी और उसके स्थान पर जाने वाले अन्य व्यक्ति दोनों अभियुक्तगण को जमानत पर मुक्त किया जा चुका है। प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्धपूर्व का कोई आपराधिक प्रकरण दर्ज नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्त दिनांक 07.01.2026 से अभिरक्षा में है, आरोप–पत्र पेश हो चुका है तथा अन्वीक्षा में समय लगेगा। अतः उपर्युक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए इस स्तर पर मामले के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किये बिना, प्रार्थी–अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

परिणामतः प्रार्थी–अभियुक्त **ऋषिपाल सिंह पुत्र देशराज** की ओर से प्रस्तुत यह जमानत प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है और आदेश दिया जाता है कि यदि प्रार्थी/अभियुक्त योग्य विचारण न्यायालय के संतोषप्रद, उनके न्यायालय में नियत तिथियों पर एवं जब भी उसे बुलाया जाए, उपस्थिति हेतु **एक लाख रूपये का बन्ध–पत्र एवं पचास–पचास हजार रूपये की दो प्रतिभूतियां** प्रस्तुत कर तस्दीक करवा दे तथा उसकी किसी अन्य प्रकरण में आवश्यकता न हो, तो उसे इस मामले में जमानत पर रिहा कर दिया जाये।

(SHUBHA MEHTA),J

AJAY KUMAR SINGHAL /54